न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी– सी0एल0 शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 65/2019 प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

अनवान

1. सुन्दर बाई बेवा भंवरसिंह राव
2. बख्तावरसिंह पिता रतनसिंह राव
3. अर्जुनसिंह पिता बख्तावरसिंह राव
4. मोहनसिंह पिता सरदारसिंह राव
5. नाहरसिंह पिता सरदारसिंह राव
6. रूपकंवर बेवा गोपालसिंह राव
7. माया पुत्री गोपालसिंह राव

सर्व निवासी ढोसर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

––प्रार्थीगण

बनाम

1. रतनलाल पिता घीसुलाल गाडरी
2. प्यारचन्द पिता बालुराम गाडरी
3. मांगु पिता जगा गाडरी
4. काना पिता जगा गाडरी
5. भैरू पिता बालु गाडरी
6. राजु पिता नानू गाडरी
7. लेहरू पिता ऊँकार गाडरी
8. भैरू पिता ऊँकार गाडरी
9. शांतिलाल पिता ऊँकार गाडरी
10. उदयराम पिता शंकर गाडरी
11. परथु पिता शंकर गाडरी
12. तलोक पिता हजारी गाडरी
13. चुना पिता हजारी गाडरी
14. गेंदा पिता हीरा गाडरी
15. घीसा पिता हीरा गाडरी
16. देवीलाल पिता हेमा गाडरी
17. सुरेश पिता शंकर गाडरी

सर्व निवासी ढोसर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

18. मदन पिता नारू सुथार
19. गोविन्द पिता नारू सुथार

सर्व निवासी सतढुण्ढीया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

20. शाखा प्रबन्धक, बड़ौदा राजस्थान क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा गंगापुर जिला भीलवाड़ा।

––विपक्षीगण

:: **प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956** ::

निर्णय दिनांक:– 28/06/2019

:: आदेश ::

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर ग्राम ढोसर पटवार हल्का ढोसर तहसील सहाड़ा के बैरून हल्का आबादी मे प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1409 रकबा 0.70 हे0 1356 रकबा 1.70 हे0 भूमि कुल किता 02 कुल रकबा 2.40 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 318 पर स्थित हैं। भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार की है जिसकी जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 संलग्न हैं। प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।

क्रमश....02

उपखण्ड अधिकारी
जिला भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या :– 65/2019
प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षीसंख्या 1 लगायत 20 बावजूद सूचना के अनुपस्थित, अतः एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी को सुना गया।

बाद सुनवाई मैने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम ढोसर पटवार हल्का ढोसर तहसील सहाड़ा के बैरून हल्का आबादी मे प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1409 रकबा 0.70 हे0 1356 रकबा 1.70 हे0 भूमि कुल किता 02 कुल रकबा 2.40 हे0 भूमि स्थित है। भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढ़ी की जाने के आदेश किये जाते हैं, **उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी किये पत्थरगढ़ी की जावें। यदि पत्थरगढी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता हैं तो धारा 183 आर.टी.ए. के तहत वाद पेश करने के लिए पाबंद किया जावें।** प्रार्थीगण बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 1,200– (एक हजार दौ रूपये मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 1,200– (एक हजार दौ रूपये मात्र) सम्बन्धित भु–अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थीगण अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28/06/2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(सी0एल0शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर(भीलवाड़ा)